कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1155 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 03/11/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर में व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर के निर्माण हेतु 2.3 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/ 12810/2015।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/284/2015/एफ0सी0/1372 दिनांक 12.01.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1573/12–1 (2) दिनांक 18.10.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249

पत्रांक 1573 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 18 / 10 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद बागेश्वर में व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.3 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–12810/2015)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू.सी.पी./06/284/2015/एफ.सी./1372 दिनांक 12.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु		
1	राज्य सरकार द्वारा अभी तक विस्तृत reclamation plan इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह विस्तृत reclamation plan इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग का विस्तृत reclamation plan पूर्व में प्रेषित किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
2	मार्ग के संरेखण का विश्लेषण करने के उपरान्त यह पाया गया है कि अधिकाश आबादी वर्तमान मार्ग के किनारे स्थित है तथा प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम बिन्दु पर केवल कुछ ही structures दिखाई दे रहे हैं, इस हेतु प्रस्तावित संरेखण उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः संबन्धित डी0एफ0ओ0 से अनुरोध है कि वह प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर रिर्पोट इस कार्यालय में प्रेषित करते हुए मार्ग का उद्देश्य तथा आवश्यकता को स्पष्ट करने का कष्ट करे।	उक्त प्रकरण पर अद्योहस्ताक्षरी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है।
3	प्रस्तावित संपूर्ण मार्ग वन क्षेत्र में प्रस्तावित है जबकि गैर–वन क्षेत्र में एक अस्थाई मार्ग प्रतीत हो रहा है, जिसका ढलान बहुत कम है। यदि प्रस्तावित लाभान्वित गांवों के लिये यदि मार्ग की आवश्यकता है, तो वर्तमान अस्थाई मार्ग के साथ जोडा जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर–वन क्षेत्र मे जो अस्थाई मार्ग प्रतीत हो रहा है, जिसका ढलान बहुत अधिक है एवं मानकों के अनुसार ग्रेड प्राप्त नहीं हो सकते है, अस्थाई मार्ग ग्रामीणों के आने जाने का पैदल मार्ग है, जो खडी चौडाई से होकर गुजरता है। अतः उक्त अस्थाई मार्ग से मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण पर अद्योहस्ताक्षरी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है।

संलग्नः– 4 प्रतियाँ।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"